

**टेलीग्राम पर लिंक से माध्यम से डबल करने को लेकर फ्रांड की गयी धनराशि 20094/- (बीस हजार चौरानवे) रुपये थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए टेलीग्राम पर लिंक से माध्यम से डबल करने को लेकर फ्रांड कि गयी धनराशि 20094 (बीस हजार चौरानवे) पीडित बिजय कुमार निवासी रामपुर बेलौली थाना रामपुर जनपद मऊ आवेदक के कुल धनराशि 20094/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना रामपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

**बरामदकर्ता पुलिस टीम -**

1. उ0नि0 अभिषेक तिवारी थाना रामपुर जनपद मऊ ।
2. क0आ0 प्रतीक चन्द्र शुक्ल थाना रामपुर जनपद मऊ ।
3. का0 नीलेश मिश्र थाना रामपुर जनपद मऊ ।

**अंजान व्यक्ति द्वारा साइबर के माध्यम से फ्रांड की गयी 26000/- रु0 कुल धनराशि (छब्बीस हजार ) रुपये थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अंजान व्यक्ति द्वारा साइबर के माध्यम से फ्रांड की गयी 26000/- रु0 कुल धनराशि (पच्चीस हजार रुपये ), पीडित सुरेश कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी नवापुरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा । आवेदिका की कुल धनराशि 26000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दोहरीघाट के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

**अंजान व्यक्ति द्वारा साइबर के माध्यम से फ़ाड की गयी 24416/- रु0 कुल धनराशि (चौबीस हजार चार सौ सोलह ) रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोपागंज पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अंजान व्यक्ति द्वारा साइबर के माध्यम से फ़ाड की गयी 24416/- रु0 कुल धनराशि (चौबीस हजार चार सौ सोलह रुपये ), पीडिता प्रीति पुत्री हरिकान्त निवासी ग्राम अदरी जनपद मऊ द्वारा । आवेदिका की कुल धनराशि 24416 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोपागंज के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

**अंजान व्यक्ति द्वारा फ़ाड की गयी 1,21,566/- रु0 कुल धनराशि (एक लाख इक्कीस हजार पांच सौ छियासठ रुपये ) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अंजान व्यक्ति द्वारा फोन के माध्यम से फ़ाड की गयी 1,21,566/- रु0 कुल धनराशि (एक लाख इक्कीस हजार पांच सौ छियासठ रुपये ), पीडित प्रवीण चौहान पुत्र ओमप्रकाश चौहान निवासी कलाफनपुर थाना घोसी जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 1,21,566 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

**बरामदकर्ता पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 प्रकाश सिंह (नोडल अधिकारी) थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. उ0नि0 दिनेश यादव (सहायक नोडल अधिकारी) थाना घोसी जनपद मऊ ।
3. हेड ऑपरेटर अरविंद यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
4. महिला आरक्षी काजल सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।
5. महिला आरक्षी पुष्पलता पांडे थाना घोसी जनपद मऊ ।

## 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में दिनांक 20.02.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर तिघरा धाम गेट के पास से मु0अ0स0 51/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शिव प्रताप पुत्र चंद्रभान चौहान निवासी चक्की मूसादोही थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

## अभियुक्त का विवरण-

1. शिव प्रताप पुत्र चंद्रभान चौहान निवासी चक्की मूसादोही थाना मधुबन जनपद मऊ

## पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 51/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस

## गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 तौकीर खां थाना मधुबन
2. का0 शम्भू शुक्ला थाना मधुबन

**ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 04 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹3000 के अर्थदंड से हुया दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिट्रिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय एसपीएल प्रथम एससीएसटी कोर्ट मऊ द्वारा दिनांक 20-02-2026 को मु0अ0सं0 428/2005 धारा 147, 323, 149, 325, 504, 506 भा0द0वि0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त रामजीत सिंह उर्फ खुडबुन सिंह पुत्र हरिवंश सिंह 2.हरिवंश सिंह पुत्र शीतल सिंह 3.अरुण सिंह पुत्र मारकण्डेय सिंह 4.अशोक सिंह पुत्र सीताराम सिंह समस्त निवासीगण मेउड़ी थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹3000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01माह सश्रम कारावास से दंडित किया जायेगा।